

भारत सरकार  
GOVERNMENT OF INDIA



# दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-24112020-223272  
SG-DL-E-24112020-223272

असाधारण  
EXTRAORDINARY  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 257]	दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 23, 2020/अग्रहायण 2, 1942	[रा.रा.रा.के.दि. सं. 207
No. 257]	DELHI, MONDAY, NOVEMBER 23, 2020/AGRAHAYANA 2, 1942	[N. C. T. D. No. 207

भाग IV  
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार  
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

कृषि विपणन निदेशालय  
(विकास विभाग)  
अधिसूचना

दिल्ली, 23 नवम्बर, 2020

सं.फा. 8 (01)/2020/डीएएम/एमआर/2110.—संविधान के अनुच्छेद 123 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में, भारत के राष्ट्रपति ने "कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) नामक अध्यादेश, 2020 प्रख्यापित किया है, जिसे विधि एवं न्याय मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 05 जून, 2020 को भारत का राजपत्र असाधारण के भाग-II खंड 1 में प्रकाशित किया है। उक्त अध्यादेश की धारा 14 के अनुसार, यह किसी भी राज्य कृषि उपज विपणन समिति (एपीएमसी) अधिनियम या किसी अन्य कानून के लागू होने के समय या तत्समय प्रवृत्त किसी भी कानून के प्रभाव में होने वाले प्रलेख के प्रभाव में आने वाले समय के लिए लागू होगा।

जबकि, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा ने "दिल्ली कृषि उपज विपणन (विनियम) अधिनियम, 1998" (1999 का दिल्ली अधिनियम संख्या 7) नामक एक अधिनियम अधिनियमित किया है जो 2 जून, 1999 से लागू है।

और, जबकि कृषि उपज विपणन समिति नजफगढ़, कृषि उपज विपणन समिति नरेला और मछली, मुर्गी और अंडा बाजार, गाजीपुर के बाजार क्षेत्रों से संबंधित उक्त अधिनियम तथा इसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के कुछ प्रावधान उक्त अध्यादेशों के प्रावधानों से भिन्न हैं। इन कृषि उपज विपणन समिति/बाजारों के घोषित बाजार क्षेत्र में उनकी भौतिक सीमाओं के बाहर का क्षेत्र भी शामिल है।